29 मई, 2020 सरकारी आदेश 2020-39

<u>सरकारी आदेश 2020-39</u>
<u>कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 37)</u>

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय एक ऐसी वैश्विक महामारी द्वारा उत्पन्न आपदा का सामना कर रहा है जिसने 5,180 से भी अधिक निवासियों की जान ले ली है, जो 1,00,000 से भी अधिक को संक्रमित कर चुकी है, जिसके कारण अभूतपूर्व रुग्णता एवं जनहानि हुई है, और जो अभी-भी फैल रही है; और,

जबकि, सारे समय पर विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय वासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19 (COVID-19)) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पर प्रतिक्रिया देने के चौथे माह में प्रवेश कर रहा है और यह रोग एक अभिनव, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों के बीच तेज़ी से फैल चुका है और इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य में निवासियों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, प्रथम प्रतिक्रियादाताओं और सरकारों पर जो बोझ पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन) ने 30 जनवरी, 2020 को कोविड-19 (COVID-19) को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएं सचिव (यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेस) ने 27 जनवरी, 2020 को यह घोषणा कर दी थी कि कोविड-19 (COVID-19) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल प्रस्तुत करता है; और,

जबकि, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 1 अप्रैल, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को एक बार पुनः आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 30 अप्रैल, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के लगातार प्रसार के कारण, अस्पताल शैयाओं, ER शैयाओं, और वेंटिलेटरों की कमी के ख़तरे के कारण, और अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, मैंने पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 5,186 इलिनॉय वासियों की त्रासद जनहानि करने एवं दसियों हजार और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य पर विपत्ति बनकर टूटने के अतिरिक्त, कोविड-19 (COVID-19) ने विपुल आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी पूरे राष्ट्र एवं राज्य में उल्लेखनीय संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों के आर्थिक कुशलक्षेम को ख़तरे में डाले हुए है; और,

जबकि, 29 मई, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के कारण हुई हजारों मौतों, मामलों में लगातार वृद्धि, अस्पताल शैयाओं, ER शैयाओं और वेंटिलेटरों की कमी का ख़तरा लगातार बने रहने, और

पहले से बेहतर पर अभी-भी अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, और विषाणु यानि वायरस के कारण हुए आर्थिक विनाश के कारण, मैंने पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 20 मई, 2020 को आरंभ होने वाले विशेष सत्र के लिए 101वीं महासभा (जनरल असेंबली) आहूत की गई थी और उसने कई विधेयक पारित किए थे, जिनमें से कुछ विधेयक पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेशों के उपबंधों को संबोधित करते हैं; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मुझे कार्यकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020 -25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-31, 2020-34, 2020-35, 2020-36, और 2020-37 को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्द्वारा समाविष्ट करता हूं;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 29 मई, 2020 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

भाग 1: कार्यकारी आदेशों को पुन: जारी करना।

एतद्द्वारा कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-31, 2020-34, 2020-35, 2020-36, और 2020-37 को इस कार्यकारी आदेश 2020-39 द्वारा निम्नवत पुनः जारी किया जाता है:

कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन (James R. Thompson) केंद्र की बंदी; राज्य कर्मचारियों के लिए रुग्णता अवकाश आवश्यकता का अधित्याग):

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-05 एवं 2020-06 (स्कूलों की बंदी):

कार्यकारी आदेश 2020-05 की धारा 1 और कार्यकारी आदेश 2020-06 के अनुभागो 1 और 2 को **27 जून, 2020** के माध्यम से फिर से जारी और बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-05 के अनुभागों 2 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** या फिर तत्संबंधी विधान (SB 1569) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-07 (रेस्त्राओं और मदिरालयों (बार) केें परिसर में खान-पान का स्थगन; बेरोज़गारी बीमा; सार्वजनिक सभा अधिनियम (ओपन मीटिंग्स एक्ट):

कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभागों 3 और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 5 को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** या फिर तत्संबंधी विधान (HB 2455) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6, कार्यकारी आदेश 2020-33 द्वारा यथा संशोधित, को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** या फिर तत्संबंधी विधान (SB 2135) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑपरेशंस):

कार्यकारी आदेश 2020-08 को जैसा कि निम्न में संशोधन किया गया है, अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 3. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान और उनके समापन के बाद अधिकतम तीस दिनों तक, सीमित देयता कंपनी अधिनियम (लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक्ट), 805 ILCS 180/55-5; एकसमान सीमित साझेदारी अधिनियम (यूनिफ़ॉर्म लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट) (2001), 805 ILCS 215/1309; 1986 का सामान्य अलाभ निगम अधिनियम (जनरल नॉट फ़ॉर प्रॉफ़िट कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ़ 1986), 805 ILCS 105/101.45; और 1983 का व्यापारिक निगम अधिनियम (बिज़नेस कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ़ 1983), 805 ILCS 5/1.45, की यह आवश्यकता कि सचिव, ऐसे किसी दस्तावेज़ जिसे राज्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाना उक्त अधिनियमों द्वारा आवश्यक किया गया है, की सुपुर्दगी के बाद 10 दिनों के अंदर प्रस्तोता को सूचित करेगा कि सचिव ने दस्तावेज़ अस्वीकृत किया है या नहीं, स्थगित की जाती है। इस समय के दौरान सचिव इन दस्तावेज़ों का प्रक्रमण अधिकतम संभव शीघ्रता से करेगा।

अनुभाग 4. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान और उनके समापन के बाद अधिकतम तीस दिनों तक, सीमित देयता कंपनी अधिनियम (लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक्ट), 805 ILCS 180/50-50; एकसमान सीमित साझेदारी अधिनियम (यूनिफ़ॉर्म लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट) (2001), 805 ILCS 215/1308; एकसमान साझेदारी अधिनियम (यूनिफ़ॉर्म पार्टनरशिप एक्ट) (1997), 805 ILCS 206/1209; 1986 का सामान्य अलाभ निगम अधिनियम (जनरल नॉट फ़ॉर प्रॉफ़िट कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ़ 1986), 805 ILCS 105/115.20; और 1983 का व्यापारिक निगम अधिनियम (बिज़नेस कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ़ 1983), 805 ILCS 5/15.95, में वर्णित के अनुसार शीघ्र सेवाएं प्रदान करने के सचिव के दायित्व, स्थगित किए जाते हैं।

कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):

कार्यकारी आदेश 2020-09 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-11 (पूर्व कार्यकारी आदेशों के संशोधन; सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-11 के अनुभाग 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** या फिर तत्संबंधी विधान (SB 1569) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-11 के अनुभाग 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; किशोर न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि; कोयला खनन अधिनियम (कोल माइनिंग एक्ट)):

कार्यकारी आदेश 2020-12 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-13 (काउंटी जेलों से इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) में दाख़िलों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-13 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-14 (लेख्य प्रमाणक (नोटरी) एवं साक्षी संबंधी दिशानिर्देश):

कार्यकारी आदेश 2020-14, कार्यकारी आदेश 2020-33 द्वारा यथा संशोधित, को पूर्णरूपेण पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** या फिर तत्संबंधी विधान (SB 2135) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड) के उपबंधों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 1, 2, 3, और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** या फिर तत्संबंधी विधान (SB 1569) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8 और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-16 (वाहनों को पुनः कब्जे में लेना; सुरक्षा सेवाओं के लिए कक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-16 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भांग (केनाबिस) संबंधी समय-सीमाएं एवं आवेदन):

कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शन्स) के कैदियों का अवकाश):

कार्यकारी आदेश 2020-21 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-22 (टाउनशिप बैठकें; अंत्येष्टि निदेशक एवं शवलेपक अनुज्ञापन संहिता (फ़्यूनरल डाइरेक्टर्स एंड एम्बामर्स लाइसेंसिंग कोड); बाल देखभाल अधिनियम 1969 (चाइल्ड केयर एक्ट ऑफ़ 1969) के अंतर्गत स्थापन; स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम (हेल्थ केयर वर्कर बैकग्राउंड चैक एक्ट) के अंतर्गत अंगुलियों के निशानों की प्रस्तुतियां):

कार्यकारी आदेश 2020-22 के अनुभाग 1 को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** या फिर तत्संबंधी विधान (HB 2096) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-22 के अनुभागों 2, 3, 4, 5 और व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़) को पुनः जारी किया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न अनुज्ञप्त (लाइसेंसशुदा) पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं वृत्तिक नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा कार्रवाइयां):

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) न्यायिक उपचार कार्यक्रम (फ़ोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम); इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के कर्मचारियों की पड़ताल:</u>

कार्यकारी आदेश 2020-24 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-25 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-26 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-27 (कोविड-19 (COVID-19) परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-27 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-28 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा अनुज्ञापियों (लाइसेंसीज़) का आमने-सामने शिक्षण या परीक्षा):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-29 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-30 (आवासीय निष्कासन कार्रवाइयों की मिसिलबंदी (फ़ाइलिंग); ग़ैर-आवासीय निष्कासन आदेशों का प्रवर्तन; कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स कमीशन) के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिसिलबंदी (फ़ाइलिंग):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-30 को जैसा कि कार्यकारी आदेश 2020-33 में संशोधन किया गया है, अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं 27 **जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-31 (शिक्षक अनुज्ञा (लाइसेंस) स्वीकृति एवं नियमन तथा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने संबंधी आवश्यकताएं):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-31 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-34 (कैनबिस आवश्यकताएं):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-34 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-35 (IDPH नियामक गतिविधियां):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-35 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-36 विवाह लाइसेंस):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-36 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-37 (स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों, पेशेवरों, और स्वयंसेवियों के लिए नागरिक (दीवानी) दायित्व से मुक्ति):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-37, जो अपने प्रभावी होने के दिनांक 13 मई, 2020 को कार्यकारी आदेश 2020-19 पर अधिभावी हुआ था, को पूर्णरूपेण पुनः जारी किया जाता है और **27 जून, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>भाग 2: व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़)</u>। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 29 मई, 2020
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 29 मई, 2020